Seventeenth Series, Vol. XIX No. 5

Friday, July 22, 2022
Ashadha 31, 1944 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

(Original Version)

Ninth Session
(Seventeenth Lok Sabha)

सत्यमेव जयते

(Vol. XIX contains Nos.1 to 10)

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

EDITORIAL BOARD

Utpal Kumar Singh

Secretary-General

Lok Sabha

Vinay Kumar Mohan

Joint Secretary

Mahavir Singh

Director

Narad Prasad Kimothi

Sunita Arora

Joint Director

Kamala Subramanian

Editor

© 2022 Lok Sabha Secretariat

None of the material may be copied, reproduced, distributed, republished, downloaded, displayed, posted or transmitted in any form or by any means, including but not limited to, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of Lok Sabha Secretariat. However, the material can be displayed, copied, distributed and downloaded for personal, non-commercial use only, provided the material is not modified and all copyright and other proprietary notices contained in the material are retained.

C O N T E N T S

Seventeenth Series, Vol. XIX, Ninth Session, 2022/1944 (Saka)
No. 5, Friday, July 22, 2022/Ashadha 31, 1944 (Saka)

S U B J E C T	P A G E S
ORAL ANSWER TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 81 and 82	8-14
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 83 to 100	15-83
Unstarred Question Nos. 921 to 1150	84-780

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE 781-790

STANDING COMMITTEE ON EXTERNAL AFFAIRS
14th Report 791

STANDING COMMITTEE ON WATER RESOURCES
17th Report 792

BUSINESS OF THE HOUSE 793

MOTION RE: ASSOCIATION OF ONE MEMBER OF RAJYA SABHA WITH COMMITTEE ON PUBLIC ACCOUNTS 794

MOTION RE: REPORT OF JOINT COMMITTEE ON BIOLOGICAL DIVERSITY (AMENDMENT) BILL, 2021-EXTENSION OF TIME 795

MATTERS UNDER RULE 377 796-809

(i) Regarding introduction of a train from Etah to Delhi via Agra
Shri Rajveer Singh (Raju Bhaiya) 796

(ii) Regarding Bihta – Aurangabad railway line project
Shri Sushil Kumar Singh 797

(iii) Regarding stoppage of trains at Biswanath Chariali and Gohpur Railway Stations in Assam
Shri Pallab Lochan Das 798

(iv) Need to frame effective law to ban fraudulent Ponzi schemes
Shri Rahul Kaswan 799

(v) Need to connect Bundelkhand expressway to Gwalior - Jhansi-Kanpur Expressway
Shri Anurag Sharma 800

(vi) Need to include 'Bhuinhar Munda'/Bhuinhar caste of Jharkhand in the list of Scheduled Tribes

Shri Sunil Kumar Singh 801

(vii) Need to set up a regulatory board for online games

Shri Vivek Narayan Shejwalkar 802

(viii) Regarding setting up of a Kalari Academy and Museum at Kadirur

Shri K. Muraleedharan 803

(ix) Regarding various issues pertaining to implementation of reservation in jobs and promotion.

Dr. D. Ravikumar 804

(x) Need to grant citizenship to Srilankan Tamils who repatriated to India under Indian Citizenship Act, 1955

Dr. Kalanidhi Veeraswamy 805

(xi) Need to take suitable measures against documentaries hurting religious sentiments

Shri Rahul Ramesh Shewale 806

(xii) Regarding price hike of Kerosene oil

Shri Hibi Eden 807

(xiii) Regarding addition of Kalanamak Chawal to the list of special products under Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority Act (APEDA Act)

Shri Jagdambika Pal 808

(xiv) Regarding alleged shoddy construction of National Highways in Nagaur Parliamentary Constituency, Rajasthan

Shri Hanuman Beniwal 809

ANNOUNCEMENT BY THE CHAIR

Sitting of the House 811

INDIAN ANTARCTIC BILL, 2022 812-829

Motion to Consider 812

Dr. Jitendra Singh 812-813, 826-827

Shri Jayant Sinha 815-817

Shri Bhartruhari Mahtab 818

Clauses 2 to 57 and 1 828-829

Motion to Pass 829

ANNEXURE – I*

Member-wise Index to Starred Questions 812

Member-wise Index to Unstarred Questions 813-819

***ANNEXURE – II**

Ministry-wise Index to Starred Questions 820

Ministry-wise Index to Unstarred Questions 821

* Available in Master copy of Debate, placed in Library.

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

SECRETARY GENERAL

Shri Utpal Kumar Singh

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Friday, July 22, 2022/Ashadha 31, 1944 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**HON. SPEAKER** *in the Chair*]

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 81, श्री थोमस चाज़िकाडन ।

… (व्यवधान)

11.01 hrs

At this stage, Shri Kodikunnil Suresh, Dr. T. Sumathy(A)Thamizhachi Thangapandian, Shri Gurjeet Singh Aujla and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैं आप सब को बोलने की इज़ाजत दूँगा। आप प्रश्न काल में व्यवधान न करें। यह प्रश्न काल आपका है। यह सदन आपका है। मेरा काम सदन को व्यवस्था से चलाने का है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अगर सब सामूहिकता से निर्णय करके सदन चलाना चाहते हैं तो उचित रहेगा। मैं सदन चलाना चाहता हूँ। देश की जनता चाहती है कि सदन चले। इसलिए, यहाँ चर्चा होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए। आपसे आग्रह है, आपसे निवेदन है कि आप विराजें। आप सीनियर मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूँ।

… (व्यवधान)

11.03 hrs

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

माननीय अध्यक्ष: श्रीमती जसकौर मीना जी।

… (व्यवधान)

(Q. 81)

श्रीमती जसकौर मीना: माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि प्रश्न के उतर में माननीय मंत्री जी ने यह अवगत कराया कि पूर्वी क्षेत्र के लिए कोलकाता में, पश्चिमी क्षेत्र के लिए मुम्बई में चार अपीलीय

न्यायपीठ की स्थापना की जा सकती है। … (व्यवधान) इसके साथ ही यह उतर भी है कि न्यायपीठ की स्थापना का औचित्य नहीं है।… (व्यवधान) लेकिन, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे प्रांतों में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार के मुकदमों का निस्तारण करने के लिए इन प्रांतों में न्यायपीठ की आवश्यकता है।… (व्यवधान) क्या मंत्री जी यह आश्वासन देना चाहेंगे? … (व्यवधान) क्या वे महिलाओं के लिए स्वतंत्र न्यायपीठ की घोषणा करके, उन महिलाओं को न्याय दिलाएंगे? … (व्यवधान)

श्री किरेन रिजीजू: माननीय अध्यक्ष जी, यह सवाल माननीय उच्चतम न्यायलय के विभाजन का था।… (व्यवधान) माननीय सदस्या जी ने महिलाओं को जोड़ते हुए, अलग से व्यवस्था का सवाल पूछा है। मैं उनकी सोच और सवाल से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन आज का जो मुख्य सवाल है… (व्यवधान) The main question is with regard to the bifurcation of the hon. Supreme Court into different Benches. यह सवाल उससे डायरेक्ट्ली जुड़ा हुआ नहीं है।… (व्यवधान)

SHRIMATI VANGA GEETHA VISWANATH: Thank you, hon. Speaker, Sir. … (*Interruptions*) In its 229th Report, the Law Commission of India made recommendations on the need for division of the hon. Supreme Court into a Constitutional Bench at Delhi and Cassation Benches in four regions, namely, Delhi, Chennai/ Hyderabad, Kolkata, and Mumbai. It is also called for the hon. Supreme Court to consist of two Divisions namely, Constitutional Division and Legal Division. … (*Interruptions*) The judicial system in India is overburdened. As of May, 2022, there are over 4.7 crore pending cases.

Of them, 87.4 per cent are pending in subordinate courts and 12.4 per cent in High Courts. Nearly 1,82,000 cases have been pending for over 30 years. But this spike is not reflected in the number of judges available to hear

these cases. Can the Minister state the details of the measures being taken or proposed to be taken to ensure faster disposal of cases and timely justice?

An all-India Judicial Service on the lines of the Indian Administrative Service and the Indian Police Service was mooted soon after Independence. It was also proposed in the 14th report of the Law Commission in the year 1958 which was later endorsed by the Supreme Court of India. Such a move will keep a check on the persisting vacancies in the Judiciary and pendency of cases. I would like to know from the Minister whether such a proposal is being considered by the Government?

SHRI KIREN RIJIJU: Sir, hon. Member has asked various questions and raised certain issues which are very vital. But the main point is that it deals with the issue of the Reports submitted by the Law Commission. In fact, Law Commission has already submitted three Reports.

One report has already been mentioned by the hon. Member. The 229th Report of the Law Commission is the latest Report submitted in 2009. Before that, the Law Commission also submitted the 95th Report in 1984 and another Report was submitted in 1988. In all the Reports submitted by the Law Commission of India, they have recommended that there should be an establishment of Supreme Court regional benches in different regions of the country specifically East, West, North and South. But there are various views on that.

I would like to dwell at length about various views but I would like to mention the important part of the Supreme Court decision. It is because the

matter was referred to the Chief Justice of India and in the full judgment held on 18th February, 2010, the full bench of the Supreme Court decided that this recommendation will not be considered because it does not justify and there are various issues mentioned as justification but I would not like to take much time of this House. If necessary, if a larger discussion takes place, I would like to explain it in detail to this august House.

श्री गोपाल शेट्टी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बहुत महत्वपूर्ण विषय पर प्रश्न पूछने का मौका दिया।... (व्यवधान) देश भर में पांच लाख से भी ज्यादा लोग बेल एप्लीकेशन के कारण जेल में बंद पड़े हुए हैं।... (व्यवधान) देश के प्रधान मंत्री ने एक साल पहले आवाज उठाई।... (व्यवधान) हमारे लॉ मिनिस्टर इसके पीछे बहुत मेहनत कर रहे हैं।...(व्यवधान) उन्होंने राजस्थान राज्य में जाकर अपने मन की भावना व्यक्त की।...(व्यवधान) बहुत सारे लोग, पैसे नहीं है, इसलिए जेल में बंद पड़े हैं।... (व्यवधान) बहुत से लोगों की बेल नहीं हुई, इसलिए वे जेल में बंद पड़े हैं।... (व्यवधान) बहुत से लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए वे जेल में बंद पड़े हैं।... (व्यवधान) लॉ मिनिस्टर ने कहा है कि 15 अगस्त से पहले इसका कोई न कोई रास्ता निकाला जाए।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से फिर एक बार मंत्री जी से पूछना चाहता हूं और उनको उनके प्रयास के लिए धन्यवाद भी देता हूं कि क्या आप 15 अगस्त के पहले इसके बारे में कोई अंतिम फैसला करेंगे? ... (व्यवधान)

श्री किरेन रिजीजू: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है।... (व्यवधान) आदरणीय प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कई इंपोर्टेंट फैसले किए गए हैं।... (व्यवधान) खासकर यह वर्ष आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है।...(व्यवधान) सरकार की ओर से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के माध्यम से एक एडवाइजरी कमेटी बनाई गई है।... (व्यवधान) इसके तहत जो कन्विक्ट्स हैं, जो कई सालों से

जेलों में पड़े हुए हैं, जिनको हम चाहते तो निकाल सकते थे, लेकिन कई कारणों से नहीं निकाल पाए।... (व्यवधान) उनको स्पेशल रिलीज करने का एक फैसला हुआ है। ... (व्यवधान) नालसा के माध्यम से हम लोगों ने लीगल असिस्टेंस देने का फैसला किया।... (व्यवधान) हाल ही में, जयपुर में जो बड़ा कार्यक्रम हुआ, उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेज़, देश के सभी हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिसेज़ वहां मौजूद थे, तब मैंने एक घोषणा भी की।... (व्यवधान)

नालसा का कार्यक्रम चलता है, उसके तहत जितने भी अंडर ट्रायल्स हैं, उनको हम लीगल अस्सिटेंस देंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेज के माध्यम से और उनके नेतृत्व में अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी है, उसके माध्यम से स्पीड को बढ़ाएंगे ताकि जितने भी अंडर ट्रायल्स हैं, जिनको रिलीज करना चाहिए ... (व्यवधान) उनको लीगल सर्विस नहीं मिलने की वजह से वे जेलों में पड़े हुए हैं। ... (व्यवधान) अमृतकाल में ऐसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा रिलीज कर सकें। कानून के तहत इसकी घोषणा की है, कोर्ट और सरकार एक साथ मिल कर काम कर रहे हैं। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 82, श्री के. नवासखनी **।**

(Q. 82)

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मछुआरे पर महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। आप यहां नारेबाजी करने आए हैं या प्रश्न पूछने आए हैं? क्या नारेबाजी और तख्तियां लगाने के लिए आए हैं? आप संसद के बाहर नारेबाजी कर सकते हैं, लेकिन यहां सदन के अंदर आप प्रश्न पूछें, जनता से जुड़े मुद्दों को उठाएं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री रतन लाल कटारिया जी।

… (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): अध्यक्ष जी, गवर्नमेंट ने बार-बार कहा है, As soon as the hon. Finance Minister recovers and comes back आप जब बीएसी में निर्णय करते हैं कि हम प्राइस राइज के ऊपर चर्चा चाह रहे हैं। हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। जो मेन्शन करना चाहते हैं, उसके लिए भी जीरो ऑवर में समय दे सकते हैं। हमको कोई एतराज नहीं हैं, आपकी अनुमति से वे बोल सकते हैं। … (व्यवधान) लेकिन ये क्या करना चाहते हैं, … (व्यवधान) प्रश्न काल भी नहीं चलने देना चाहते हैं, डिबेट भी नहीं करना चाहते हैं। बिल भी पारित नहीं करना चाहते हैं, चर्चा भी नहीं करना चाहते हैं, यह सदन चर्चा करने के लिए है। Majority of the hon. Members of this House want the Question Hour to run. They are depriving the rights of the Members … (*Interruptions*) I condemn this attitude. We are ready for discussion as soon as the hon. Finance Minister comes after recovery. … (*Interruptions*) They are trying to delimiting the House and the stature of the hon. Members. I condemn this attitude … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : श्री रतन लाल कटारिया जी।

श्री रतन लाल कटारिया: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने सारे विश्व के अंदर 21 जून को योग दिवस के रूप में प्रचलित किया है, आज सारा संसार प्रधानमंत्री जी का अनुसरण करते हुए योग दिवस को मना रहा है। … (व्यवधान)

इसी प्रकार से मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि भारत की महिलाओं में अक्सर अनीमिया की कमी पाई जाती है। क्या हम अवेयरनेस फैलाकर इस योग के माध्यम से … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह विदेश मंत्रालय का प्रश्न है।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 83

… (व्यवधान)

____

*WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS
(Starred Question Nos. 83 to 100
Unstarred Question Nos. 921 to 1150)
(Page no.15 to 780)

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही बारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

11.13 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Twelve of the Clock.

---

* Available in Master copy of Debate, placed in Library

12.00 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Twelve of the Clock.

(Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki *in the Chair*)

… (व्यवधान)

12.01 hrs

At this stage, Shri Hibi Eden, Shri Benny Behanan, Shri Jasbir Singh Gill and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

… (व्यवधान)

12.02 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

माननीय सभापति : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नं. 2, प्रो. एस. पी. सिंह बघेल

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एस. पी. सिंह बघेल): माननीय सभापति जी मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भारत, भोपाल के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भारत, भोपाल के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7162/17/22]

(3) अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2001 की धारा 37 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) अंडमान और निकोबार अधिवक्ता कल्याण निधि नियम, 2003 जो 4 जून, 2003 के अंडमान और निकोबार राजपत्र में अधिसूचना सं. 84/2003/एफ.सं. 48-739/2002-एसडब्ल्यू में प्रकाशित हुए थे तथा उसका एक शुद्धिपत्र (केवल अंग्रेजी भाषा में), जो 16 जून, 2004 की अधिसूचना सं. 120 में प्रकाशित हुआ था।

(दो) चंडीगढ़ अधिवक्ता कल्याण निधि नियम, 2017 जो 8 सितंबर, 2017 के चंडीगढ़ प्रशासन राजपत्र में अधिसूचना सं. 8/1/101-1एच(8)-2017/22271 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) दिल्ली अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) नियम, 2009 जो 8 मई, 2009 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ. सं. 219/याचिका/01/उपसचिवविधि/1932-51में प्रकाशित हुए थे।

(चार) दिल्ली अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) नियम, 2019 जो 25 सितंबर, 2019 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ. सं. 2 (22)/लिट./01/वॉल IV-19/6380-6429 में प्रकाशित हुए थे।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7163/17/22]

(5) विधि और न्याय मंत्रालय की वर्ष 2022-2023 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7164/17/22]

(6) जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 62 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ. 2223(अ) जो 20 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 20 मई, 2022 को उस तारीख के रूप में नियत किया गया है जिसको परिसीमन आयोग के आदेश जो दिनांक 14 मार्च, 2022 की अधिसूचना सं. ओ.एन.6(अ) और 5 मार्च, 2022 की अधिसूचना सं. ओ.एन.17(अ) में क्रमश: दिनांक 14 मार्च, 2022 का आदेश सं. 1 और दिनांक 5 मई, 2022 का आदेश सं. 2 के रूप में प्रकाशित हुए थे, प्रभावी होंगे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7165/17/22]

(7) परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 10 की उप-धारा 2 के साथ पठित जम्मू-कश्मीर पुनगर्ठन अधिनियम, 2019 की धारा 60 की उप-धारा (5) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. ओ.एन.6(अ) जो 14 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो सहयुक्त सदस्यों के विमत प्रस्ताव के साथ जम्मू-कश्मीर संघ-राज्यक्षेत्र में संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बारे में है तथा जो 21 मार्च, 2022 (सोमवार) को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जब उस तारीख या उसके पश्चात् इसके द्वारा प्रस्तावों पर आगे विचार किया गया जायेगा, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7166/17/22]

(8) परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 10 की उप-धारा (1) और जम्मू-कश्मीर पुनगर्ठन अधिनियम, 2019 के भाग-पांच के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. ओ.एन.17(अ) जो 5 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो जम्मू-कश्मीर संघ-राज्यक्षेत्र में संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के

परिसीमन के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7167/17/22]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. MURALEEDHARAN): I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the India Centre for Migration, New Delhi, for the year 2020-2021, along with Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the India Centre for Migration, New Delhi, for the year 2020-2021.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 7168/17/22]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CULTURE (SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI): I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Council for Cultural Relations, New Delhi, for the year 2020-2021.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Council for Cultural Relations, New Delhi, for

the year 2020-2021, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Council for Cultural Relations, New Delhi, for the year 2020-2021.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 7169/17/22]

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (एडवोकेट अजय भट्ट): माननीय सभापति जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) छावनी बोर्ड के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदनों की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7170/17/22]

(3) (एक) नेशनल मेरीटाइम फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल मेरीटाइम फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7171/17/22]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DR. BHARATI PRAVIN PAWAR): I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Food Safety and Standards Authority of India, New Delhi, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Food Safety and Standards Authority of India, New Delhi, for the year 2020-2021.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 7172/17/22]

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the All India Institute of Medical Sciences, Deoghar, for the year 2019-2020, along with Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, for the year 2019-2020.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 7173/17/22]

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Mental Health and Neuro Sciences,

Bengaluru, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Mental Health and Neuro Sciences, Bengaluru, for the year 2020-2021.

(6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

[Placed in Library, See No. LT 7174/17/22]

(7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Council of Medical Research, New Delhi, for the year 2020-2021.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Council of Medical Research, New Delhi, for the year 2020-2021, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Council of Medical Research, New Delhi, for the year 2020-2021.

(8) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (7) above.

[Placed in Library, See No. LT 7175/17/22]

(9) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Regional Institute of Medical Sciences, Imphal, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Regional Institute of Medical Sciences, Imphal, for the year 2020-2021.

(10) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (9) above.

[Placed in Library, See No. LT 7176/17/22]

(11) A copy of the Food Safety and Standards (Ayurveda Aahara) Regulations, 2022 (Hindi and English versions) published in Notification No. F. No. Stds/SP-05/A-1.Y(01) in Gazette of India dated 6th May, 2022 under Section 93 of the Food Safety and Standards Act, 2006.

[Placed in Library, See No. LT 7177/17/22]

(12) A copy of the National Commission for Allied and Healthcare Professions 3rd (Removal of Difficulties) Order, 2022 (Hindi and English versions) published in Notification No. S.O.2360(E) in Gazette of India dated 23rd May, 2022 under sub-section (2) of Section 69 of the National Commission for Allied and Healthcare Professions Act, 2021.

[Placed in Library, See No. LT 7178/17/22]

(13) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 38 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940:-

1. The Medical Devices (Third Amendment) Rules, 2022 published in Notification No. G.S.R.356(E) in Gazette of India dated 18th May, 2022.
2. The Drugs (Fourth Amendment) Rules, 2021 published in Notification No. G.S.R.357(E) in Gazette of India dated 18th May, 2022.
3. The Medical Devices (Fourth Amendment) Rules, 2022 published in Notification No. G.S.R.450(E) in Gazette of India dated 15th June, 2022.

[Placed in Library, See No. LT 7179/17/22]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AYUSH (DR. (PROF.) MAHENDRA MUNJAPARA): I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Adoption Resource Authority, New Delhi, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Adoption Resource Authority, New Delhi, for the year 2020-2021.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 7180/17/22]

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Public Cooperation and Child Development, New Delhi, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Public Cooperation and Child Development, New Delhi, for the year 2020-2021.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 7181/17/22]

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Social Welfare Board, New Delhi, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Social Welfare Board, New Delhi, for the year 2020-2021.

(6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

[Placed in Library, See No. LT 7182/17/22]

12.04 hrs

STANDING COMMITTEE ON EXTERNAL AFFAIRS
14th Report

SHRI P. P. CHAUDHARY (PALI): I beg to present the Fourteenth Report (Hindi and English versions) of the Standing Committee on External Affairs on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the Tenth Report of the Committee on the subject 'India and Bilateral Investment Treaties'.

12.04½ hrs

STANDING COMMITTEE ON WATER RESOURCES
17th Report

SHRI PRATAP CHANDRA SARANGI (BALASORE): I beg to present the Seventeenth Report (Hindi and English versions) on the Action Taken by the Government on the Observations / Recommendations contained in the Twelfth Report (Seventeenth Lok Sabha) of the Standing Committee on Water Resources on “Flood Management in the Country including International Water Treaties in the field of Water Resource Management with Particular Reference to Treaty/Agreement entered into with China, Pakistan and Bhutan” of the Standing Committee on Water Resources.

____

12.05 hrs

BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CULTURE (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Sir, with your permission, I rise to announce that Government Business during the week commencing Monday, the 25th of July, 2022 will consist of:-

1. Consideration of any items of Government Business carried over from today's order paper: - *[it contains:* - Consideration and passing of the Indian Antarctic Bill, 2022.*]*
2. Consideration and passing of the following Bills:-
   - I. The Family Courts (Amendment) Bill, 2022;
   - II. The Anti-Maritime Piracy Bill, 2019;
   - III. The National Anti-Doping Bill, 2021 and
   - IV. The Wildlife (Protection) Amendment Bill, 2021.
3. Consideration and Passing of the Central Universities (Amendment) Bill, 2022, *after its introduction.*

____

माननीय सभापति: आईटम नम्बर-11, डॉ. सत्यपाल सिंह जी।

<u>12.05½ hrs</u>

MOTION RE: ASSOCIATION OF ONE MEMBER OF RAJYA SABHA WITH COMMITTEE ON PUBLIC ACCOUNTS

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत): माननीय सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूँ:

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा श्री वी.विजयसाई रेड्डी, जो राज्य सभा से सेवानिवृत्त हो गए हैं, *के स्थान पर* सभा की लोक लेखा समिति के शेष कार्यकाल के लिए समिति के साथ सहयोजित करने के लिए राज्य सभा से एक सदस्य को नामनिर्दिष्ट करने पर सहमत हो और राज्य सभा इस प्रकार से नामनिर्दिष्ट सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।"

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा श्री वी.विजयसाई रेड्डी, जो राज्य सभा से सेवानिवृत्त हो गए हैं, *के स्थान पर* सभा की लोक लेखा समिति के शेष कार्यकाल के लिए समिति के साथ सहयोजित करने के लिए राज्य सभा से एक सदस्य को नामनिर्दिष्ट करने पर सहमत हो और राज्य सभा इस प्रकार से नामनिर्दिष्ट सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

12.06 hrs

MOTION RE: REPORT OF JOINT COMMITTEE ON BIOLOGICAL DIVERSITY (AMENDMENT) BILL, 2021- EXTENSION OF TIME

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): माननीय सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूँ:

"कि यह सभा जैव विविधता (संशोधन) विधेयक, 2021 संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय को, जिसे इस सभा द्वारा 18 जुलाई, 2022 को स्वीकृत प्रस्ताव द्वारा वर्तमान सत्र के पहले सप्ताह तक के लिए बढ़ाया गया था, संसद के मानसून सत्र, 2022 के अंतिम सप्ताह तक के लिए बढ़ाती है।"

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि यह सभा जैव विविधता (संशोधन) विधेयक, 2021 संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय को, जिसे इस सभा द्वारा 18 जुलाई, 2022 को स्वीकृत प्रस्ताव द्वारा वर्तमान सत्र के पहले सप्ताह तक के लिए बढ़ाया गया था, संसद के मानसून सत्र, 2022 के अंतिम सप्ताह तक के लिए बढ़ाती है।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

...(व्यवधान)

<u>12.08 hrs</u>

MATTERS UNDER RULE 377

HON. CHAIRPERSON: Now, Matters under Rule 377 – Shri Rajveer Singh (Raju Bhaiya).

… (*Interruptions*)

(i) Regarding introduction of a train from Etah to Delhi via Agra

श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या) (एटा): सभापति महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र एटा कासगंज, उत्तर प्रदेश में पिछड़े जिलों में आता है और उसका प्रमुख कारण है यहां पर आवागमन के साधनों का अभाव। रेल हमारे देश में यातायात के प्रमुख साधनों में से है, जिसे हर कामकाजी व्यक्ति इस्तेमाल करता है। एटा- कासगंज, उत्तर प्रदेश से दिल्ली के लिए कोई सीधी रेलगाडी नही है, इसलिए मेरी माननीय रेल मंत्री जी से मांग है कि एटा कासगंज, उत्तर प्रदेश से दिल्ली के लिए आगरा होते हुए एक रेलगाड़ी चलाएं, जिससे मेरे क्षेत्र वासी अपनी पढ़ाई, नौकरी, रोजगार और कारोबार के लिए दिल्ली और आगरा आसानी से जा सकें।

(ii) **Regarding Bihta-Aurangabad railway line project**

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): सभापति महोदय, पूर्व मध्य रेल के अंतर्गत वर्ष 2007 में 326 करोड़ रूपए की लागत से बिहटा-औरंगाबाद नई रेल परियोजना की स्वीकृति प्रदान की गई। इस परियोजना का कार्य 2011-12 में पूरा किया जाना था। परियोजना से पटना, अरवल, जहानाबाद और औरंगाबाद की जनता लाभान्वित होगी। इस क्षेत्र का अधिकांश भाग अति पिछडा और एल. डब्ल्यू. ई. के अधीन है। परियोजना के लिए कई बार सर्वेक्षण हुआ और किसानों को भूमि अधिग्रहण के लिए नोटिस भी जारी किया गया। अब परियोजना की प्राक्कलन राशि 326 करोड़ रूपये से बढ़कर 2800 करोड़ रूपए हो गई । अधिकारियों की उदासीनता के कारण प्राक्कलन राशि में काफी वृद्धि हो गई है और इस पिछड़े क्षेत्र की जनता को विकास योजना से वंचित करने का कार्य किया गया।

मेरा आग्रह है कि बिहटा औरंगाबाद रेल परियोजना का कार्य शीघ्र पूरा कराने हेतु तत्काल कदम उठाया जाए । गया-औरंगाबाद झारखंड राज्य के चतरा, हजारीबाग आदि उग्रवाद प्रभावित जिलों से सटे हैं। वर्षों से स्थानीय लोगों की मांग है कि उग्रवाद प्रभावित इस क्षेत्र में गया, शेरघाटी, बाँके बाजार, इमामगंज, डुमरिया होते हुए झारखंड में डाल्टनगंज को रेल सेवा से जोड़ा जाए। रेल सेवा का यह विस्तार बेहतर स्थानीय संपर्क के साथ उग्रवाद नियंत्रण में उपयोगी होगा।

HON. CHAIRPERSON: Dr. Sujay Vikhe Patil: Not present; Shri Rahul Kaswan: Not present.

(iii) Regarding stoppage of trains at Biswanath Chariali and Gohpur Railway Stations in Assam

SHRI PALLAB LOCHAN DAS (TEZPUR): Sir, Biswanath Chariali is the headquarters of Biswanath District which is an important city of northern Assam, and has a lot of commuters such as Government employees, patients, students, farmers, defence personnel and businessmen travelling to New Delhi on frequent basis. Currently, the Bi-Weekly Rajdhani Express *via* Bogibeel and Delhi-Naharlagun Arunachal Express does not halt at Biwanath and Gohpur due to which thousands of passengers have to travel up to Rangapara or Harmuti to board long-distance trains bound to Delhi. … (*Interruptions*)

Therefore, I request the hon. Railway Minister for stoppage of 20505/20506 New Delhi-Dibrugarh Bi-Weekly Rajdhani Express (*vis* Bogibeel) and 22412/22411 Delhi-Naharlagun Arunachal Express at Biswanath Chariali Railway Station and Gohpur Railway Station at the earliest. Thank you.

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, बाकी सदस्यों के नोटिस सभा पटल पर रखे जाते हैं। आप अपने नियम 377 के नोटिस सभा पटल* पर रख दें।

… (व्यवधान)

* Treated as laid on the Table.

(iv) Need to frame effective law to ban fraudulent Ponzi schemes

श्री राहुल कस्वां (चुरू) : आदर्श क्रेडिट कोआपरेटीव सोसाइटी द्वारा राजस्थान के 20 लाख से अधिक लोगों को जमा की गई राशि पर अधिक व्याज एंव अन्य सुविधाऐ देने का नाम लेकर जाल में फंसा लिया व उनकी खूनी पसीने की कमाई का 8 हजार करोड़ से अधिक रूपये लेकर फरार हो गये है। राजस्थान में इसके अलावा अनेक क्रेडिट कोआपरेटिव सोसायटी द्वारा इस प्रकार की पोंजी स्कीमे चलाकर आम जनता की गाढी कमाई को लूटने का कार्य किया जा रहा है। ऐसी स्कीमों की वजह से केवल राजस्थान के अनेक नागरिको का करोड़ों रूपये लेकर यह कम्पनियां फरार हो गई है। पीड़ित लोगों द्वारा न्यायालय एंव कानून की शरण ली जा रही है लेकिन लोगों द्वारा जमा की गई राशि उन्हे नहीं मिल पा रही है। अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि ऐसी पोंजी स्कीमो द्वारा जनता को लूटा जा रहा है उन पर रोक लगाये जाने हेतु प्रभावी कानून बनाया जाए एंव साथ ही आदर्श क्रेडिट कोआपरेटीव सोसाइटी द्वारा जिन लोगों का नुकसान हुआ है, उन्हे राहत प्रदान की जाए।

(v) Need to connect Bundelkhand expressway to Gwalior - Jhansi-Kanpur Expressway

SHRI ANURAG SHARMA (JHANSI): It's my immense pleasure to thank the Hon'ble Prime Minister to India, Shri Narendra Modi ji & Hon'ble Minister of Road Transport and Highways, Shri Nitin Gadkari for giving the Bundelkhand region and to the Uttar Pradesh state. The humongous project worth Rs. 14,000 crores and with a length of 296 kilometres, states a clear intention of the development in the region of Bundelkhand which was unexplored by the previous governments.

I am just adding up the request to have an attention to connect Bundelkhand expressway with Gwalior-Jhansi-Kanpur Expressway. It will connect Jhansi to Bhojla, Unnao Balaji and Unnao Balaji to Bhander, Bhander to Konch and Konch to Jalaun. Lastly, Mauranipu to Garotha expressway can be connected to the Bundelkhand Expressway. The inspection area there will be of 110 kilometers which will have to be extended in the proposed project.

(vi) **Need to include 'Bhuinhar Munda'/Bhuinhar caste of Jharkhand in the list of Scheduled Tribes**

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा): The Scheduled caste & Scheduled Tribes List (Modification) Order 1956 के तहत जाति-मुण्डा अनुसूचित जनजाति में अधिसूचित है, और भुईहर/ भुईहर मुण्डा उसी की उपजाति (शाखा) के रूप में स्थायित्व कायम रखती है। इस समुदाय का प्रमुख निवास विशेषत: झारखण्ड के गुमला और लातेहार के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ राज्य में है। भुईहर/भुईहर मुण्डा जाति झारखण्ड के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में जनजाति में अधिसूचित है।

इस संबंध में डॉ० रामदयाल मुण्डा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, रांची द्वारा दिनांक 19.03.2019 के विस्तृत शोध प्रतिवेदन एवं पत्रांक 237, दिनांक 25.02.2021 को कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखंड सरकार को भेजा गया। झारखंड सरकार द्वारा भारत सरकार के जनजातीय मंत्रालय को दिनांक 18.02.2021 को भेजा गया था। मंत्रालय द्वारा Registrar General & Census Commissioner India को दिनांक 28.10.2021 को भेजा जा चुका है। मा० जनजातीय मंत्री जी को मेरे द्वारा 07 अप्रैल 2022 को भी पत्र लिखकर आग्रह किया गया है।

अत: मेरा जनजातीय कार्य मंत्री जी से पुन: आग्रह है कि भुईहर मुण्डा/भुईहर जाति को झारखण्ड राज्य की अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करवाने की प्रक्रिया को पूरा करके संसद में इससे संबंधित बिल पेश किया जाये।

(vii) Need to set up a regulatory board for online games

श्री विवेक नारायण शेजवलकर (ग्वालियर): बच्चों में ऑनलाइन गेम्स की लत उनके आगे बढ़ने में बहुत बड़ी बाधा है। यह गेम बच्चों को मानसिक रूप से कमजोर एवं हिंसक भी बना रहे है। गेमिंग की लत को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बीमारी यानी गेमिंग डिसआर्डर के रूप में चिन्हित किया है। दुनिया के कई देश ऐसे गेम्स की लत से निपटने के लिए अलर्ट मोड पर हैं। बहुत ज्यादा हिंसा वाले गेम बंद किए है। बैन का आधार आपत्तिजनक और हिंसक कंटेंट को बताया गया है। भारत में अभी तक इसे लेकर कोई सख्त नियम नहीं हैं। सीनियर आईटी एंड साइबर एक्सपर्टस का मानना है कि हमारे देश में कोई स्पष्ट पॉलिसी नहीं है जो ऑनलाइन गेम्स पर कंट्रोल कर पाए और उसे सेंसर करे। इसके लिए भारत सरकार को यह चाहिए कि देश में जो भी गेम लांच हो या वर्तमान में चल रहे है, उनकी उपयोगिता को जांचने के लिये फिल्म सेंसर बोर्ड की तर्ज पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म विकसित किया जाये, जो ऑनलाइन गेम्स को पैमाने पर परखे और उपयोगिता संबंधि जांच करे। जिससे भारत के भविष्य युवा एवं बच्चे इसके दुष्प्रभाव से बच सकते हैं।

(viii) Regarding setting up of a Kalari Academy and Museum at Kadirur

SHRI K. MURALEEDHARAN (VADAKARA): Kalaripayattu also known simply as Kalari, is an Indian martial art that originated in Kerala. The Sports Ministry, Government of India has recently inducted Kalaripayattu into the Khelo India Youth Games. Apart being a martial art, Kalaripayattu has its own medical system called Kalari Chikthsa. Kalaripayattu is mentioned in the Vadakkan Pattukal, a collection of ballads written about the Chekavar of the Malabar region of Kerala.

It is a long standing aspiration of the people of Malabar to see a Kalari Academy and Museum in the region. Kadirur in Kannur district is the most suitable location for setting up such an institution as it has historical links with Kalaripayattu. Kadhirur Gurukkal also known as Mathilure Gurukkal was a celebrated martial artist of medieval period from Kadirur. A Kalari Academy and Museum is proposed by the Kalari lovers at Kadirur to impart the martial art to the people interested in the art and to introduce Kalaripayattu to tourists. As on now, there is no such institution in Kerala. The Kadirur Gram Panchayat has expressed its willingness to support the proposal.

Hence, I request the Government of India to set up a Kalari Academy at Kadirur.

(ix) Regarding various issues pertaining to implementation of reservation in jobs and promotion

DR. D. RAVIKUMAR (VILUPPURAM): As per the Annual report submitted on 20.09.2020 by the National Commission for SCs, a Legislation on reservation Bill may be redrafted including the recommendations of the Commission and the opinion of the Commission may also be sought on the redrafted Bill as per the provisions of Article 338(9) of the Constitution. That reservation should be strictly implemented in all the projects of Government which last for more than 45 days and also in engagement of young professionals. Reservation rosters should be strictly maintained and followed to ensure adequate representation of SCs in services. Special Recruitment Drives should be launched to clear backlog vacancies.

All the instructions issued by DoPT to safeguard the interest of the Scheduled Castes like appointment of Liaison Officers, setting up of SC/ST Cells, etc. must be followed. Steps should be laid down to improve the percentage of SCs in Group 'A' and 'B' posts of Central/State Governments. As per DoPT OM dated 15.06.2018, reservation in promotion may be continued to be implemented in all the Central/State Governments, PSUs and PSBs. In the wake of the SC judgement in Jarnail Singh & Ors Vs Lachhmi Narain Gupta & Ors, the Government should consider a Constitutional amendment for putting reservation in promotion in place.

(x) **Need to grant citizenship to Srilankan Tamils who repatriated to India under Indian Citizenship Act, 1955**

DR. KALANIDHI VEERASWAMY (CHENNAI NORTH): Srilankan Tamils are descendants of indentured labourers who settled down in tea estates of Sri Lanka during colonial times. There is no doubt that they are tamil speaking people. Their forefathers hailed from what is present day State of Tamil Nadu. They faced severe discrimination at the hands of the Sri Lankan Government after it gained independence in 1948. Sri Lanka witnessed a genocidal and brutal ethnic strife. 1983 was one of the worst moments in history. There was a virtual exodus of Tamil people from Sri Lanka to India. They reached India by whatever mode that was available. However, they were having hope from Citizenship Amendment Act 2019 but this hope too was over as this act only allowed Indian Citizenship for persecuted religious minorities from Afghanistan, Bangladesh and Pakistan who are Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis or Christians and leaves out Sri Lanka. Refugees from Sri Lanka have been neglected by the CAA.

I request the Union Government to provide Citizenship to these repatriates and their family members who repatriated to India after intermittent settlement in tea estates of hill areas in Sri Lanka under the Indian Citizenship Act, 1955.

(xi) Need to take suitable measures against documentaries hurting religious sentiments

श्री राहुल रमेश शेवाले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): देश में बढ़ते धार्मिक सांप्रदायिक तनाव के बीच, भारत के एक वृत्तचित्र फिल्म निर्माता के द्वारा साझा किए गए एक फिल्म पोस्टर ने एक और विवाद खड़ा कर दिया है। निर्माता ने अपनी फिल्म का एक पोस्टर साझा किया जिसमें देवी काली के वेश में एक महिला को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है। कई इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने पोस्टर को हिंदू धर्म का अपमान माना और फिल्म निर्माता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आह्वान किया, जबकि अन्य ने हर समुदाय की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने के लिए कहा। कई राजनीतिक नेताओं ने भी आपत्ति जताई है और फिल्म निर्माता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिल्म निर्माता के अनुसार उसने एक कवि और फिल्म निर्माता के रूप में, अपनी स्वतंत्र दृष्टि में काली को शामिल किया है। हमें स्वतंत्रता की ऐसी अभिव्यक्ति में किसी भी धर्म को अपमानित करने के प्रयास की घोर निन्दा करनी चाहिए। सभी धर्मों का आदर करना हर भारतीय का कर्त्तव्य है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि ऐसे किसी भी प्रयास की घोर निन्दा कर सरकार को त्वरित तथा कठोर कार्रवाई करनी चाहिए।

(xii) Regarding price hike of Kerosene oil

SHRI HIBI EDEN (ERNAKULAM): I invite the attention of the Government towards the exorbitant price hike of Kerosene by Rs 80 in the last two years. The price has reached Rs. 102 after the price hike which is more than the price for one litre of diesel and just Rs 5 short of the cost for a litre of petrol. The steep hike will affect the traditional fishermen who are allowed to fish in the sea during the trawling ban as they use kerosene as fuel for the boats. The anti-people policies are pushing commoners and fishermen in serious debts. They are forced to buy kerosene from the open market for a high price as they are not getting the subsidised kerosene. The 30700 OBM boats in Kerala use 98000 KL kerosene in a year, and in the financial year of 2021-22, only 15188 KL of Kerosene was sanctioned for the state. I urge the Department of Food and Distribution to look into this matter with utmost priority as it puts the lives of common people and traditional fishermen at stake.

(xiii) Regarding addition of Kalanamak Chawal to the list of special products under Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority Act (APEDA Act)

SHRI JAGDAMBIKA PAL (DOMARIYAGANJ): The Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority Act (APEDA Act) was amended in 2009 which added Section 10A. This will provide the much needed boost to demand for special Indian products in international markets. However, till date only "Basmati Rice" has been added to the list of Special Products. Kalanamak Chawal of District Siddharathnagar, Uttar Pradesh is taken as Lord Buddha Prasad all over the world. Kalanamak Chawal is a special aromatic rice from Siddharthnagar, Uttar Pradesh. It is famous for its nutritional properties and rich cultural history. It is also known as Buddha Rice and has garnered huge demand in international markets due to its popularity as Buddha Prasad and also due to the efforts of the State Government of Uttar Pradesh. It is very essential to add Kalanamak Chawal under APEDA for its promotion all over the world. I, therefore, request the Government of India to consider adding Kalanamak Chawal of District Siddharathnagar Uttar Pradesh under Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority Act (APEDA Act). This will also be benefited in the long run for the economy of our country.

(xiv) Regarding alleged shoddy construction of National Highways in Nagaur Parliamentary Constituency, Rajasthan

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जी का मेरे संसदीय क्षेत्र नागौर से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गो के निर्माण में बरती जा रही कोताही तथा गुणवत्तापूर्वक कार्य नहीं होने से उत्पन्न स्थिति की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए यह अवगत करवाना चाहता हूं कि अजमेर-नागौर राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर सड़क के सुदृढ़ीकरण का कार्य कई जगहों पर किया जा रहा है जो मापदण्डों के अनुसार सही नहीं है एवं डीबीएम कम मोटाई में बिछाया जा रहा है तथा कार्य भी धीमी गति से चल रहा है साथ ही बीकानेर-नागौर-जोधपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बीकानेर-नागौर के भाग का निर्माण किया गया उसकी गुणवत्ता भी सही प्रतीत नहीं हो रही है साथ ही नागौर जिला मुख्यालय में नागौर शहर के बाहर राष्ट्रीय राजमार्ग 58 के बाईपास निर्माण में भी कौताही बरती गई और उक्त सड़क के निर्माण में 10 मीटर चौड़े बाईपास का सीसी पेवमेन्ट का कार्य किया गया जो तुरन्त क्षतिग्रस्त हो गया जिसके कारण यातायात का आवागमन भी सुगमता से नहीं हो रहा है, चूंकि नागौर शहर के बाहर रिंग रोड़ की गुणवत्ता सही नहीं होने से सड़क का निर्माण होते ही सड़क का क्षतिग्रस्त हो जाना तथा उपरोक्त वर्णित राजमार्गों के निर्माण में कोताही बरतना व निम्न किस्म की सामग्री निर्माण में उपयोग में लेना व मापदंड़ों के विपरीत कार्य होते जाना अत्यंत खेदजनक है। राजकोष के करोड़ों रूपये राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में व्यय होने के बावजूद उनका सकारात्मक परिणाम नहीं आना सरकार की मंशा व राष्ट्रीय राजमार्ग की नीति के विरुद्ध हे और इसके लिए अभियन्ताओं के साथ निर्माण करने वाली सरकारी एजेंसियां भी जिम्मेदार हैं।

अतः उक्त सड़कों की केन्द्र के स्तर से टीम भेजकर जांच करवाना तथा निर्माण में कौताही बरतने वाले अभियन्तओं व निर्माण करने वाली कार्यकारी एजेंसियों के विरूद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही करते हुए आर्थिक रूप से भी दंडित किया जाये ताकि राजकोष का दुरूपयोग रूक सके व राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण गुण्वत्तापूर्ण हो सके।

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, ये सदन चर्चा के लिए है। सरकार की ओर से आपको चर्चा के लिए कहा गया है। आपके जो भी इश्यूज़ हैं, आप सदन में चर्चा कीजिए । सदन की गरिमा बनाए रखने का यह कोई तरीका नहीं है।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही आज दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

12.13 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

___

14.02 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Two Minutes past Fourteen of the Clock.

(Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

… (व्यवधान)

14.02½ hrs

At this stage, Shri Hibi Eden and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

… (व्यवधान)

14.03 hrs

ANNOUNCEMENT BY THE CHAIR

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, मुझे सूचित करना है कि सोमवार, 25 जुलाई, 2022 को सभा की कार्यवाही अपराह्न दो बजे से प्रारम्भ होगी।

… (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य: सर, क्या सभा की कार्यवाही सोमवार से दो बजे से होगी?

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, सिर्फ सोमवार को सभा की कार्यवाही दो बजे से होगी।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: आइटम नम्बर 14, भारतीय अंटार्कटिक विधेयक, 2022.

माननीय मंत्री जी।

… (व्यवधान)

14.04 hrs

INDIAN ANTARCTIC BILL, 2022

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारतीय अंटार्कटिक विधेयक सभा पटल पर चर्चा के लिए रखता हूँ।

Sir, with your permission, I beg to move:

> "That the Bill to provide for the national measures for protecting the Antarctic environment and dependent and associated ecosystems and to give effect to the Antarctic Treaty, the Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources and to the Protocol on Environmental Protection to the Antarctic Treaty and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

माननीय सभापति: मंत्री जी, क्या आप बिल पर कुछ बोलेंगे?

… (व्यवधान)

डॉ. जितेन्द्र सिंह: सभापति महोदय, यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इसका एक रोचक पहलू भी है।… (व्यवधान) अंटार्कटिक एक ऐसा क्षेत्र है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है।… (व्यवधान) It is 60 degrees South of the Southern Hemisphere. Southern Hemisphere का लगभग एक तिहाई हिस्सा अंटार्कटिका का क्षेत्र माना जाता है।… (व्यवधान) It is considered to be the fifth-largest continent on the earth. यहां पर हैबिटेट की परिस्थितियां भी कठिन हैं।… (व्यवधान) जलवायु

की दृष्टि से सर्दी के मौसम में तापमान शून्य से 90 डिग्री सेल्सियस तक नीचे रहता है और गर्मियों में भी शून्य से 10 डिग्री तक नीचे रहता है।

यहां पर कोई ज्यादा रिहाइश नहीं है, अधिकतकर शोधक और वैज्ञानिक लोग रहते हैं और उनकी संख्या विभिन्न देशों को मिलाकर 1000 या 5000 से ज्यादा नहीं है।… (व्यवधान) यहां पर लगभग 40 शोध केन्द्र हैं। आज यह जो बिल लाया गया है, जब उस पर चर्चा होगी तो उसके उत्तर में मैं आगे की भी बात करूंगा, इसका एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि भारत ने वहां पर अपने दो संस्थान – मैत्री और भारती स्थापित किए हैं।… (व्यवधान) इसी प्रकार अन्य देशों जैसे चीन, जापान, फ्रांस, न्यूजीलैण्ड ने वहां पर अपने-अपने संस्थान स्थापित किए हैं।… (व्यवधान) सन् 1959 में एक सन्धि हुई थी – अंटार्कटिक ट्रीटी, जो सन् 1961 में लागू हुई है और सन् 1983 से भारत भी उस पर हस्ताक्षर करके उसका हिस्सेदार बन गया। … (व्यवधान)

आरम्भ में 12 देश इस सन्धि का हिस्सा थे, जिनमें अर्जेंटीना, आस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिली, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैण्ड, नार्वे, साउथ अफ्रीका और सोवियत यूनियन आदि देश शामिल थे।… (व्यवधान) अब इसके 54 देशों में से 29 देश ऐसे हैं, जिनको कंसल्टेटिव स्टेटस दिया गया है, अर्थात जो निर्णायक विषय और निर्णायक कार्यवाही होती है, उसमें भाग ले सकते हैं। … (व्यवधान) आपस में यह मान्यता है कि सभी देश अपनी-अपनी संसदों में इस प्रकार का विधान लाएं, ताकि वहां पर यदि कोई ऐसी गतिविधि होती है, जिससे कानून का उल्लंघन होता है या कोई ऐसी गतिविधि होती है, जो उस ट्रीटी का हिस्सा नहीं है, क्योंकि इस ट्रीटी का बुनियादी उद्देश्य अंटार्कटिका को डिमिलिटराइज करना था, ताकि वहां किसी भी प्रकार की ऐसी गतिविधि न रहे, जिसमें जमीन को कब्जा करना या किसी तरह की सैनिक कार्रवाई हो।… (व्यवधान) उस ट्रीटी के मद्देनजर और उसकी मान्यता को स्वीकार करते हुए भारत के लिए भी यह बाध्यकारी हो जाता है कि हम इस प्रकार का विधान यहां लाएं कि अगर अंटार्कटिका में इस प्रकार का कोई उल्लंघन होता है तो उससे किस प्रकार से निपटा जाए, उसका क्या समाधान हो और उस पर क्या कार्रवाई की जाए। … (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Motion moved:

> "That the Bill to provide for the national measures for protecting the Antarctic environment and dependent and associated ecosystems and to give effect to the Antarctic Treaty, the Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources and to the Protocol on Environmental Protection to the Antarctic Treaty and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : आप लोग शान्त हो जाइए। अधीर जी, क्या आप कुछ बोलेंगे?

… (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, बात यह है कि सदन को ठप्प पड़े हुए एक हफ्ता हो गया है।… (व्यवधान)

माननीय सभापति : क्या आप इस बिल पर कुछ बोलना चाहेंगे?

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, एक मिनट दीजिए। … (व्यवधान) हम बार-बार गुहार लगाते हैं, हम चर्चा करना चाहते हैं।… (व्यवधान)

माननीय सभापति : नहीं।

… (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : लेकिन यह सरकार अपना अड़ियलपन अपनाते हुए चर्चा नहीं करना चाहती है।… (व्यवधान)

माननीय सभापति : अधीर दा, क्या आप इस बिल पर कुछ बोलना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री जयंत सिन्हा जी।

श्री जयंत सिन्हा (हज़ारीबाग): माननीय सभापति जी, भारत का यह सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल और निर्णायक नेतृत्व के कारण हम लोग विश्वगुरू बनते चले जा रहे हैं। …(व्यवधान) आज माननीय मंत्री जी ने इस विधेयक के बारे में हमें जो बताया है, उससे यह स्पष्ट नजर आ रहा है कि इस विधेयक के द्वारा एवं कई अन्य कदमों के द्वारा हम लोग विश्वगुरू बनने का लक्ष्य तेजी से हासिल करते जाएंगे। … (व्यवधान)

यह जो विधेयक लाया गया है, जिसके बारे में अभी माननीय मंत्री जी ने हमें विस्तार से बताया है, यह विधेयक एक व्यापक और दूरदर्शी विधेयक है और इसके दो मुख्य उद्देश्य हैं, जिनके बारे में मैं थोड़े विस्तृत रूप से आपको बताना चाहूंगा। … (व्यवधान) इसका पहला उद्देश्य यह है कि अंटार्कटिक, जो 60 डिग्री लैटीट्यूड से दक्षिण एक कॉंटिनेंट है, जो आज के समय में बिल्कुल अनटच्ड है, इसे हम सुरक्षित रखें। … (व्यवधान) इस कॉंटिनेंट का उपयोग सिर्फ वैज्ञानिक कारणों से हो रहा है, इसलिए वहां पर अमन बनाए रखते हुए, इसको वैज्ञानिक उद्देश्य से हमें सुरक्षित रखना है, जिसे हम इस विधेयक के द्वारा पूरी तरीके से हासिल करने वाले हैं। … (व्यवधान) माननीय विदेश मंत्री जी भी यहां उपस्थित हैं। … (व्यवधान) साथ ही साथ, चूंकि हम लोग इसके कंसल्टेटिव पार्टनर हैं, जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया है, हमें एक जिम्मेदार कंसल्टेटिव पार्टनर की हैसियत से अपने देश में भी ऐसे कानून बनाने हैं, ताकि हम लोगों ने जो इंटरनेशनल ट्रीटीज साइन की हैं, उनको हम अपने कानून के द्वारा इस तरीके से अमल करें। … (व्यवधान)

ये दो मुख्य उद्देश्य हैं, जिनके द्वारा इस अंटार्कटिक बिल को आज सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है। मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि वह भी इसके बारे में समझें, क्योंकि यह न सिर्फ भारत, बल्कि पूरी दुनिया के कई ऐसे महत्वपूर्ण जलवायु परिवर्तन के विषय हैं, जिससे यह अंटार्कटिक जुड़ा हुआ है। मैं इसके बारे में विस्तार से बताना चाहूंगा। … (व्यवधान)

महोदय, जैसा मंत्री जी ने बताया कि अंटार्कटिक एक ऐसी जगह है, जहां बहुत कम तापमान रहता है। सर्दियों में तापमान माइनस 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है और गर्मियों में सिर्फ माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है। … (व्यवधान) इसका ऐवरेज तापमान माइनस 60

डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अंटार्कटिक का पूरा कॉन्टिनेंट बर्फ से ढका हुआ है। इस कारण विश्व का 62 परसेंट जो फ्रेश वाटर है, वह आज के समय अंटार्कटिक की आइस सीट में बना हुआ है, लेकिन जलवायु के कारण धीरे-धीरे पृथ्वी का तापमान बढ़ता चला जा रहा है।... (व्यवधान) पृथ्वी का तापमान 1.1 डिग्री, 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग काफी तेजी से हो रही है। अब हम लोगों को लग रहा है कि सिर्फ 1.1 डिग्री, 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, बल्कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। अगर 2 डिग्री सेंटीग्रेड या 3 डिग्री सेंटीग्रेड ग्लोबल वार्मिंग होती है तो 62 परसेंट जो फ्रेश वाटर है और जो अंटार्कटिक की आइस सीट है, वह धीरे-धीरे पिघलने लगेगी। जब यह धीरे-धीरे पिघलेगी तो विश्व में बहुत संकट आ सकता है।... (व्यवधान)

महोदय, भारत बहुत बड़ा कोस्टल राष्ट्र है। यहां गोवा, मुंबई, कोलकाता, कोच्चि, चेन्नई ऐसे बहुत सारे महानगर और बड़े-बड़े शहर हैं, जो कोस्ट पर है, समुद्र पर हैं। इस प्रकार से अंटार्कटिक के पिघलने से सी लेवल राइज होने लग जाए तो हमारी जो कोस्टल सिटीज हैं, इनमें फ्लडिंग का बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है। ... (व्यवधान) इसलिए यहां पर वैज्ञानिक तौर पर समझना कि किस तेजी से ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव अंटार्कटिक पर हो रहा है, यह भारत और विश्व के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए यहां पर वैज्ञानिक मिशन सुरक्षित तौर पर हों और बिना किसी एनवायरनमेंट के डिस्ट्रक्शन के हों। ये सब हम लोगों को करवाना बहुत जरूरी है।... (व्यवधान)

जब से हम लोगों ने यह ट्रीटी साइन की है, आज तक यहां भारत के 41 साइंटिफिक मिशन हो चुके हैं। हमारे यहां दो साइंटिफिक सेंटर्स हैं। एक भारती का साइंटिफिक सेंटर है, एक मैत्री का साइंटिफिक सेंटर है। इसके अलावा एक गंगोत्री का है, जो टेंपरेरी चलता है, लेकिन वह भी बहुत जरूरी है।... (व्यवधान) यहां 41 साइंटिफिक मिशन हो चुके हैं। आज हमारा 50 से 60 साइंटिफिक स्टाफ अंटार्कटिक में रहता है। इसलिए हम लोगों का यहां पर बहुत साइंटिफिक काम चलता रहता है। इसे सुरक्षित रखने के लिए हम लोगों को इस विधेयक को पारित करना चाहिए।... (व्यवधान)

मैं इस विधेयक के बारे में संक्षेप में बताना चाहूंगा कि तीन-चार ऐसे मुख्य मामले हैं, जो बहुत ही दूरदर्शी हैं। विश्व के अन्य देशों ने भी अंटार्कटिक को सुरक्षित रखने के लिए विधेयक पारित

किए हैं, लेकिन इस बिल में दो-तीन ऐसे प्रोविजन्स हैं, जो अन्य विधेयकों में नहीं हैं। पहली बात तो यह है कि अगर अंटार्कटिक में कोई भी साइंटिफिक मिशन जाए तो उसको वेस्ट मैनेजमेंट पर बहुत ध्यान देना है।… (व्यवधान) वहां का वातावरण किसी तरीके से न बिगड़े, इसके लिए आपको वेस्ट मैनेजमेंट पर ध्यान देना है। आपको वेस्ट मैनेजमेंट प्लान भी बनाना है कि अगर कोई भी वेस्ट हो तो उसका आप कैसे डिस्पोजल करें। इसका यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।… (व्यवधान)

दूसरी बात यह है कि हम लोगों ने 14 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई है, जिसमें सरकार के हर प्रतिनिधि की जगह है और इसके साथ-साथ एक्सपर्ट्स की भी जगह है। अगर आपको कोई भी परमिट चाहिए तो प्लान इस कमेटी से परमिट लेकर ही अप्रूवल मिलेगा, उसके बाद आप वहां वैज्ञानिक काम कर सकते हैं।… (व्यवधान) तीसरा मामला यह है कि आप वहां पर सिर्फ सीमित काम कर सकते हैं। जैसे उनमें वैज्ञानिक काम हो या वहां जाकर समझ पाएं कि क्लाइमेट में क्या अंतर आ रहा है, अगर इस किस्म का काम है, तभी आपको परमिट मिलता है। यह भी इस विधेयक में पूरे तरीके से बताया गया है। यह बहुत ही व्यापक और दूरदर्शी विधेयक है। मैं इसका सहयोग और समर्थन करता हूं। मुझे पूरी अपेक्षा है कि माननीय सदस्य भी इस पर थोड़ा ध्यान दें और वह भी पूरे तरीके से समर्थन दें। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।… (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री भर्तृहरि महताब जी।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, यह क्या हो रहा है?…(व्यवधान)

माननीय सभापति : कृपया आप सभी अपनी सीट्स पर जाइए।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : आपको बोलने का अवसर दिया गया था।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : प्लीज, नो।

श्री भर्तृहरि महताब जी।

…(व्यवधान)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, I stand here to support the Bill. *....(Interruptions)* The subject for today's discussion is of great importance, of course, not only for our country but also for the whole world. *....(Interruptions)* You remember that yesterday when this Bill was taken up for consideration, the Minister with open heart had stated that because most of the Oppositions' seats are vacant, I would like to have a discussion where Opposition also takes part in the deliberation, and without Oppositions' participation passing of a Bill is not the intent of the Government. *....(Interruptions)* That is the reason why the Bill was deferred and it has been taken up today. *....(Interruptions)* But I am sorry to see that the Opposition Members are still in the well, and they are not considering to listen to what other Members are saying. *....(Interruptions)*

As I was saying, Antarctica is the White Continent of the world, and it is the 5^{th} largest continent of our Earth. *....(Interruptions)* It has very inclement weather, and as the Minister has very rightly said, it goes up from -10 to -30 degree during winter and at times during summer certain parts are also fully covered under ice. *....(Interruptions)*

Antarctica has an area of around 14 million square kilometres, and is known to be the fifth largest continent. Around 98 per cent of the geographical area is covered by ice which is about 1.6 kilometre thick. *....(Interruptions)* About 90 per cent of the total ice of the earth is found in Antarctica. As it is

completely covered with ice, it is also called the White Continent. *....(Interruptions)*

Sir, I would also like to mention here that it has a short history of last 140 years. *....(Interruptions)* For a long time, Antarctica represented the last great frontier of human exploration. *....(Interruptions)* Ships first explored the boundaries of the White Continent on sea voyages. *....(Interruptions)* By the beginning of the 20th century, some were beginning to venture into Antarctica's unforgiving climate. *....(Interruptions)* Before long the 'Race to the South Pole', as it was stated, began. Key competitors included some of history's great explorers. *....(Interruptions)* Roald Amundsen, Robert Falcon Scott, Edward Adrian Wilson and Ernest Shackleton – all competed in the Race to the South Pole. *....(Interruptions)* Roald Amundsen's expedition team became the first to reach the South Pole on 15th December 1911, and his team was the first to return hale and hearty to the civilized world. *....(Interruptions)*

Sir, I would like to mention here that the ice sheet of Antarctica is the single largest piece of ice on Earth. *....(Interruptions)* The ice increases from about three million square kilometres at the end of summer to around 19 square kilometres in winter. *....(Interruptions)* As my predecessor speaker mentioned about global warming, this is the incident which we should be aware of. *....(Interruptions)* Small island countries in Pacific and also in Indian Ocean are in great danger, if the ice of the South Pole melts. The ice of Antarctica is a great wealth for the whole human kind. *....(Interruptions)*

Sir, Antarctica is also home to a number of mountain summits with altitude of more than 4500 meters.

The Transantarctic mountains divide the Continent into eastern and western regions. Under the ice sheet is a giant peninsula and archipelago of mountainous islands known as Lesser Antarctica or West Antarctica. East Antarctica is composed of older, igneous and metamorphic rocks. West Antarctica is made up of younger, volcanic and sedimentary rocks. … (*Interruptions*)

Antarctica is considered a desert, the largest desert on earth. In fact, it is the coldest, windiest and driest of the seven Continents. … (*Interruptions*)

Here, I would like to mention that the surrounding Southern Ocean, however, is one of the most biologically diverse marine areas on the planet. The upwelling that occurs here allows plankton and algae to flourish.

This in turn attracts an abundance of fish, which creates the perfect feeding ground for the larger fish and marine mammals. Blue, fin, humpback, minke and sperm whales are abundant in Antarctica. … (*Interruptions*) Antarctica is home to several seal species, including leopard seals, one of the most aggressive of all marine predators. This 400 kilogram apex predator feeds mostly on penguins and fish. … (*Interruptions*) This is the natural habitat of Antarctica and to protect this habitat, it is necessary that we also become a party to the United Nations Agreement, about which the Minister has just now mentioned. … (*Interruptions*) Sir, this Bill aims at promoting Antarctica as a natural reserve that is devoted to science and peace, and to ensure that

Antarctica does not become the scene of international discord. That is the basic purpose for which this Bill is being introduced and I believe, cutting across party lines, everybody should support this Bill. … (*Interruptions*) India maintains two research stations in Antarctica – Maitri since 1989 and Bharati since 2012 – and has launched 41 expeditions to the Continent so far. The Antarctica Treaty was signed in Washington D.C. on the 1st day of December, 1959. India signed the Antarctica Treaty on 19th August, 1983 and received consultative status on the 12th September, 1983. The Treaty covers the area South of 60 degree latitude and 27 countries, of which some names have already been mentioned by the Minister. … (*Interruptions*) There is a need for the law. While India has been sending expeditions to Antarctica for the last 40 years, these expeditions have been circumscribed by international law. This Bill now puts into place a comprehensive list of regulations related to Antarctica for scientific expeditions as well as for individuals, companies and tourists. This reminds me of what the DRDO has done. The bio-toilets, that are being used in most of the trains today, were actually explored by our scientists in DRDO which were put into experiment in Antarctica. That is the direct effect which the scientific exploration has made and it is necessary. … (*Interruptions*) I need not go into the key features of the Bill, but here I would like to mention that this is a necessity not only for our country, but also for the whole world. We will become a part of the greater brotherhood, the international brotherhood and therefore, I believe that everybody should support this Bill wholeheartedly.

Thank you. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Your Leader is going to speak now.

… (*Interruptions*)

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, आप मुझे मेरी बात खत्म होने तक बोलने का मौका दीजिए।

माननीय सभापति : आप इस बिल पर ही बोलिए।

… (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, मैं बिल पर बोलूंगा, लेकिन मेरी बात खत्म होने तक आपको समय देना पड़ेगा। … (व्यवधान)

सर, इन लोगों की बात में आकर जबरदस्ती मत किया कीजिए। … (व्यवधान) आप हमारे कस्टुडियन हैं। … (व्यवधान) सरकार इस तरीके से हमारे ऊपर क्यों जुल्म कर रही है? … (व्यवधान)

माननीय सभापति : कल आप अनुपस्थित थे, इसलिए इस बिल पर चर्चा आज हो रही है। Now, please cooperate.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : प्लीज, सब लोग अपनी-अपनी सीट्स पर जाइए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री अधीर रंजन चौधरी जी - आप बोलिए।

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, मंत्री जी हमें अंटार्कटिक बिल की अहमियत समझा रहे थे। इसकी अहमियत के मद्देनजर पहले ही, जिस समय यह अंटार्कटिक बिल इस सदन में इन्ट्रोड्यूस हुआ था, उस समय मैंने खुद खड़े होकर इस बिल को और चुस्त-दुरुस्त करने के लिए, इसको और स्ट्रीमलाइन करने के लिए कुछ सलाह दी थी। अभी भी इसमें भाग लेने में हम काफी दिलचस्पी दिखाते हैं, लेकिन हम क्या करें? यह सरकार एक बीएसी मीटिंग करके, उसमें हम सबको बुलाकर

एक बार चर्चा कर ले, तो सब कुछ आराम से चल सकता है। हमारे बहुत सारे मेंबर्स हैं, जो इसमें शिरकत करना चाहते हैं। सिर्फ मेरी पार्टी के ही नहीं, दूसरी पार्टीज के भी मेंबर्स हैं।

इस बिल की अहमियत के मद्देनजर सबको इसमें शिरकत करना जरूरी है, लेकिन ये क्या करते हैं? अपने बलबूते पर, किसी की परवाह न करते हुए, इस अहम बिल को पास करवाने जा रहे हैं। मैं इनको यह सलाह देना चाहता हूं कि एक बार अपोजीशन पार्टीज के सारे फ्लोर-लीडर्स को मीटिंग में बुलाकर एक मिनट में समाधान हो जाएगा।

सर, जैसे आज अंटार्कटिक बिल पर चर्चा हो रही है, वैसे ही हिन्दुस्तान की आर्थिक हालत में भी अंटार्कटिक जैसे हालात हो गए हैं। … (व्यवधान) इसलिए हम कहते हैं कि अगर आप हमें मौका नहीं देंगे, तो हम वॉक-आउट करेंगे। … (व्यवधान)

14.26 hrs

At this stage, Shri Adhir Ranjan Chowdhury and some other hon. Members left the House.

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी।

… (व्यवधान)

डॉ. जितेन्द्र सिंह : माननीय सभापति जी, जैसे कि अभी इस बिल पर हो रही चर्चा में भाग लेते हुए हमारे मित्र और सांसद साथी माननीय श्री जयंत सिन्हा जी और महताब साहब ने कहा, अंटार्कटिक का एक विशेष महत्व भी है और एक बड़ी ही रोचक भौगोलिक परिस्थिति भी है। … (व्यवधान)

जैसा कि इन्होंने अभी बताया, गर्मी के मौसम में वहां शून्य से दस डिग्री कम का तापमान और सर्दियों में शून्य के नीचे 90 डिग्री तक का तापमान रहता है। इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि मैंने पहले ही दे दी है, इस पर बहुत अधिक विवाद नहीं है। मेरा मात्र इतना कहना है कि आज

अंटार्कटिक बिल लाने का उद्देश्य क्या है? मैं यह कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि बहुत अधिक विषय नहीं उठे हैं।

वर्ष 1959 में यह ट्रीटी हुई थी और भारत इस पर वर्ष 1983 में हस्ताक्षर करके इसका हिस्सा बन गया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि अंटार्कटिक की जमीन को किसी भी सैनिक या किसी अन्य कारण से दुरुपयोग में न लाया जाए। इसे अंग्रेजी में कहा जा सकता है - to ensure demilitarisation, ताकि वहां कोई मिलिट्री एक्टिविटी न हो। दूसरा, कोई भी देश किसी प्रकार की माइनिंग एक्टिविटी या गैर-कानूनी एक्टिविटी न करे, क्योंकि यह more or less no man's land है। उस तरह की परिस्थिति उत्पन्न न हो, संभावना न हो। कोई न्युक्लियर एक्सप्लोजन करने के लिए उस जमीन का इस्तेमाल करे, ऐसा न हो।

कुल मिलाकर यह सुनिश्चित करना कि जितने भी देशों के वहां संस्थान हैं, जैसे महताब साहब ने बिलकुल सही फरमाया 'मैत्री' और 'भारती' भारत के संस्थान हैं, वे अपने आप को शोध तक सीमित रखें या फिर और कुछ एक प्रयोग हैं, जो जलवायु या भौगोलिक संबंधित हैं, उन तक सीमित रखें। चूंकि भारत के भी वहां दो संस्थान हैं और दूसरे देशों के भी हैं, इसलिए इसी ट्रीटी के अंतर्गत यह तय किया गया कि एक विधान लाया जाए, हर देश लाए। एक मान्यता थी कि उसी देश का विधान या कानून उसके अपने क्षेत्र में लागू हो।

अब चूंकि हमारे भी दो संस्थान हैं, तो जाहिर है कि भारत का ही कानून वहां एप्लिकेबल होगा। यानी डीमिलेट्राइजेशन तो है ही, वह हमने सुनिश्चित किया, उसको किसी प्रकार से इललीगल एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल नहीं करना है, यह भी सुनिश्चित हुआ, परंतु उसके बावजूद कभी कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो किस कानून के तहत कार्रवाई की जाए? आप जानते हैं कि दुनिया भर में कोई न कोई, किसी न किसी तरह का कानून, किसी न किसी स्वरूप में, हर देश में, हर क्षेत्र में लागू है। यह चूंकि ऐसा क्षेत्र है, जिस पर किसी देश की प्रभुसत्ता नहीं है, इसलिए भारत का कानून भारत के हिस्से के क्षेत्र में लागू हो, मात्र इतना इसका उद्देश्य है।

जब यह बिल पास हो जाएगा, तो उसके उपरांत हमारे यहां एक समिति गठित की जाएगी, जिसके अध्यक्ष पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव होंगे।

महोदय, उस समिति में अन्य मंत्रालयों के भी प्रतिनिधि रहेंगे क्योंकि फिशरीज का कुछ न कुछ काम चलता रहता है। डिफेंस का काम तो है ही, शिपिंग, पर्यावरण, स्पेस, टूरिज्म का भी काम है। इसलिए, इस बिल का बहुत ज्यादा उस तरह का व्यापक इम्प्लीकेशन नहीं है। इस बिल के पास होने के बाद भारत का कानून will be applicable in the area occupied by the Indian institutions and the Indian personnel living in that Continent.… (*Interruptions*)

श्री एस. एस. अहलुवालिया (बर्धमान-दुर्गापुर): सभापति जी, मैं इस विषय पर कुछ कहना चाहता हूं।

महोदय, अंटार्कटिक एक वर्जिन लैंड है और वहां बर्फ ही बर्फ है और उसकी सतह बहुत मोटी है। उसके नीचे सारी चीजें हैं और वे वर्जिन केटेगरी में हैं। मंत्री जी ने कहा कि कोई इललीगल माइनिंग न हो, उसके नीचे वर्जिन पोली मैटेलिक मोड्यूल्स हैं, कोबाल्ट है, निकेल है और गैस भी है। उसके नजदीक ही नार्वे है। नार्वे आज की तारीख में सबसे ज्यादा ऑयल बेचता है और उसके आस-पास से ही सारा तेल और गैस निकलती है, क्रूड निकलता है। उसकी सतह के नीचे से ही निकल रहा है। जब हमारी साइंटेफिक आर्गेनाइजेशन्स इस पर रिसर्च करती हैं तो क्या इसका पता लगाती हैं कि जब इस इलाके से तेल और गैस निकाला जा रहा है, तो उसका प्रभाव अंटार्कटिक के इस क्षेत्र में कितना पड़ रहा है। हम सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग की तरफ ध्यान दे रहे हैं, किंतु नीचे से गैस और ऑयल निकाल लिया जाए, तो यदि उस सतह की अंतत: फिलिंग प्रोपर न हो, तो वह सतह बैठने लगती है। हमें भविष्य के लिए यह भी चिंता करनी है कि वहां खनन से जो जगह खाली होगी और वहां बर्फ सब्साइड होने लगेगी, तो भूकंप का भी खतरा है। सिस्मोलॉजिक स्टडीज से पता चलता है कि भूकंप आते हैं और वे केवल धरती पर ही नहीं आते हैं, समुद्र के अंदर भी आते हैं। इसी तरह अर्थक्वेक अंटार्कटिका के नीचे भी होते हैं। उन सभी चीजों को स्टडी करके उनके प्रोटेक्शन के लिए विश्व गुरू बनकर भारत एक अच्छा काम कर सकता है और इस क्षेत्र के सेंटर वहां

बनाने की जरूरत है। आपने अनाधिकार अनुप्रवेश को रोकने के लिए एक समिति बनाई है, यह अच्छी बात है किंतु इसमें कल यदि प्राइवेट ऑपरेटर्स और प्राइवेट प्लेयर्स जाने लगेंगे तो उतना अंकुश नहीं लग सकेगा, क्योंकि उसका कमर्शियल एक्सप्लायटेशन करने की बात होगी।

मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इस संबंध में रोशनी डालें।

श्री रवि किशन (गोरखपुर) : महोदय, मैं आपके समक्ष अपनी पीड़ा रखना चाहता हूं… (व्यवधान)

माननीय सभापति : यदि बिल से संबंधित कोई क्लेरीफिकेशन है, तो आप संक्षेप में बोलिए, so that hon. Minister can respond on that.

SHRI RAVI KISHAN: Sir, I would like one clarification on a Private Members' Bill, for which I have been waiting since 2019. … (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, आप बोलिए।

… (व्यवधान)

SHRI P.P. CHAUDHARY (PALI): Sir, I would like to seek one clarification from the hon. Minister with respect to clause 2 of the Bill which provides that this Act shall apply to citizens of India. But at the same time, it is also mentioned that it will apply to citizens of any other country as well as any vessel or aircraft registered outside India. … (*Interruptions*)

On the issue of jurisdiction, how can it be extended to the vessel registered outside India, and to non-citizens of India? … (*Interruptions*)

डॉ. जितेन्द्र सिंह : सभापति महोदय, हमारे वरिष्ठ सदस्य श्री अहलूवालिया साहब इस विषय के जानकार हैं और पूरा अध्ययन करके इन्होंने अपनी बात रखी है। इनका कहना ठीक है कि उसके आगे-पीछे दूसरे देश भी हैं और उन्होंने भी अपने संस्थान वहां पर स्थापित किए हुए हैं। उदाहरण के तौर पर नॉर्वे केवल 100 किलोमीटर दूर है। हमारी जो लैबोरेट्रीज हैं, उनका संस्थान भी है। इस ट्रीटी की कल्पना भी इसीलिए की गयी थी कि कोई भी देश इस प्रकार की लालसा में या प्रवृत्ति में

न आए कि जैसे कोई ऑयलिंग की एक्टिविटी करनी है या माइनिंग की एक्टिविटी करनी है। इस बात को लेकर एक साझा समझौता हो। कुल मिलाकर अंटार्कटिक के साथ संबंधित 3 ट्रीटियां हैं। एक तो यही ट्रीटी है, जिसके तहत हम यह बिल ला रहे हैं। दूसरा, Convention of Antarctic Marine Living Resources, यानी, वहां पर दूसरी तरह के जो रिसोर्सेज हैं, उनको कैसे प्रिजर्व किया जाए। तीसरा Protocol on Environmental Protection है, जिसकी ओर माननीय अहलूवालिया जी ने भी इशारा किया। … (व्यवधान)

<u>14.37 hrs</u>

At this stage, Dr. Mohammad Jawed, Shri Rajmohan Unnithan and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> "कि अंटार्कटिक पर्यावरण और आश्रित तथा सहयुक्त पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण और अंटार्कटिक संधि को प्रभावी करने हेतु अंटार्कटिक समुद्री जीव संपदा का संरक्षण संबंधी अभिसमय और अंटार्कटिक संधि के लिए पर्यावरण संरक्षण संबंधी प्रोटोकाल तथा उससे संबंधित या उसके आनुषांगिक विषयों के लिए राष्ट्रीय उपायों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

माननीय सभापति: अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: जिन माननीय सदस्यों ने इस विधेयक पर अपने-अपने संशोधन दिए हैं, उनमें से केवल श्री रितेश पाण्डेय जी उपस्थित हैं।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 2 से 5 विधेयक में जोड़ दिए गए।

CLAUSE 6 Permit for vessel and aircraft entering Antarctica

माननीय सभापति: श्री रितेश पाण्डेय जी, क्या आप संशोधन संख्या 12 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): सर, मैं प्रस्तुत करता हूं कि :

पृष्ठ 5, पंक्ति 23 के पश्चात् -

"परन्तु यह और कि कोई भी अधिकृत टूर ऑपरेटर 500 से अधिक यात्रियों को ले जाने वाले जलयानों का उपयोग अंटार्कटिक में प्रविष्टि से नहीं कराएगा।"

"परन्तु यह और कि किसी भी समय किनारे पर यात्रियों की संख्या 100 या उससे कम हो, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो।"

"परन्तु यह और कि समुद्र तटों पर गाइड और यात्री का न्यूनतम अनुपात 1:20 रखा जाएगा, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो।"

अंत: स्थापित करें। (12)

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: अब मैं श्री रितेश पाण्डेय द्वारा खंड 6 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 12 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

“कि खंड 6 विधेयक का अंग बने।”

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

<u>खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।</u>

<u>खंड 7 से 57 विधेयक में जोड़ दिए गए।</u>

<u>खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।</u>

माननीय सभापति : अब माननीय मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए।

DR. JITENDRA SINGH: Sir, I beg to move:

“That the Bill be passed.”

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

“कि विधेयक पारित किया जाए।”

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, आप कृपया अपनी-अपनी सीट्स पर जाकर बैठ जाइए। आपको पूरा अवसर दिया गया।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : अधीर जी, कल केवल आपकी अनुपस्थिति का सम्मान करते हुए विधेयक पर आज विचार हुआ। आपको पूरा अवसर दिया गया। प्लीज, ऐसा न करें।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही सोमवार, 25 जुलाई, 2022 को दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

<u>14.39 hrs</u>

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock on Monday, July 25, 2022/Sravana 3, 1944 (Saka).

INTERNET

The Original Version of Lok Sabha proceedings is available on Parliament of India Website and Lok Sabha Website at the following addresses:

http://www.parliamentofindia.nic.in
http://www.loksabha.nic.in

LIVE TELECAST OF PROCEEDINGS OF LOK SABHA

Lok Sabha proceedings are being telecast live on Sansad T.V. Channel. Live telecast begins at 11 A.M. everyday the Lok Sabha sits, till the adjournment of the House.

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Sixteenth Edition)